नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/5626 /भर्ती/2024 खण्डवा, दिनांकः– 01 / 08/2024

//सीमित विज्ञप्ति (In-House) //

1. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ– 2–53/2017/1/55 दिनांक 12/01/18 द्वारा मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय "शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" के अंतर्गत नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के अधीन नवीन अनुसूची दिनांक 11/04/2022 साथ ही मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल का आदेश कमांक 1105 एफ 2–45/2010/1/55: भोपाल दिनांक 24.07.2024 के एवं उप संचालक (राजपत्रित) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. का पत्र कमांक 984/स्था./राज/संचिशि/2024 भोपाल दिनांक 26.07.2024 के अनुसार प्राप्त नवीन प्रोराटा शीट अनुसार स्कूटनी एवं साक्षात्कार में गुणांकन किया जायेगा विभिन्न विभागों में रिक्त **(प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक)** पदों की पूर्ति सीमित विज्ञप्ति/In-House के माध्यम से की जाना होकर **आवेदन की पात्रता उन चिकित्सा शिक्षकों की होगी जो वर्तमान में नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में नियुक्त होकर वर्तमान में कार्यरत हो** एवं जो रिक्त पदोन्नति/सीधी भर्ती के पद हेतु एनएमसी द्वारा निर्धारित आर्हताएं पूर्ण करते हो आवेदन पत्र दिनांकः– 07/08/2024 सांय 05.30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) की वेबसाइट www.gmckhandwa.org पर उपलब्ध है।
2. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से Dean and CEO, Nandkumar Singh Chouhan Government Medical College, Khandwa के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर महाविद्यालय, की स्थापना शाखा की ई–मेल आई. डी. estt1st2ndclass@gmail.com पर भी भेजा जाना अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में "शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी" का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

01/08/24

(डॉ. संजय कुमार दादु)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.सिं.चौ.शा.चि.म. खण्डवा

//सीमित विज्ञप्ति (In-House) //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय "शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" के अन्तर्गत नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के अधीन पदोन्नति (नवीन अनुसूची–2 कॉलम–5 टीप–2 के अनुसार) के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति इन हाउस द्वारा की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

पदोन्नति हेतु रिक्त प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक पद

क्र.	विभाग का नाम	प्राध्यापक			सह–प्राध्यापक		
		UR	SC	ST	UR	SC	ST
1.	एनाटॉमी	–	–	–	01	–	–
2.	फार्माकोलॉजी	–	–	–	01	–	–
3.	स्त्री रोग एवं प्रसुति	–	–	–	01	–	–
4.	अस्थि रोग	–	–	–	01	–	–
5.	जनरल सर्जरी	–	–	–	02	–	–
6.	जनरल मेडिसीन	01	–	–	01	–	–
7.	नेत्र रोग	01	–	–	–	–	–
8.	पी.एम.आर.	01	–	–	01	–	–
	कुल योग	03	–	–	08	–	–

- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी अनुसूची–2 टीप–1 के अनुसार, उपरोक्त विज्ञापित पदों पर राज्य शासन निर्देशानुसार पदोन्नति रोस्टर संधारित कर लागू किया गया है।
- यह नियुक्तियाँ नवीन आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होंगी।

4. **वेतनमान** – (7 वें वेतनमान अनुसार)
   प्राध्यापक – 144200
   सह–प्राध्यापक – 131400

टीप –समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ते आदि देय होगें।

5. **आयु सीमा –** **न्यूनतम**
   प्राध्यापक – 35 वर्ष
   सह–प्राध्यापक – 30 वर्ष
   टीप–आयु की गणना 01.01.2024 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
6. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा व जाति आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
7. **अर्हताये** :– 1. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित आर्हता एवं अनुभव एवं समय–समय पर जारी एनएमसी के नियमानुसार।
   2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
   3. न्यूनतम अर्हताओं के निर्धारित मापदण्डों की गणना आवेदन दिनांक की अंतिम दिवस तक मान्य की जावेगी।

8. **निरर्हतायें–**

i. विकृत चित्त वाला होने पर।

ii. दुष्चरित्र होने पर।

iii. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध, दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

iv. नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

v. विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

vi. जिनकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है।

vii. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

viii. कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

ix. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

x. स्वास्थ्य संबंधी–चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

xi. एमसीआई/एनएमसी के अनुसार, चिकित्सा महाविद्यालय को एलओपी मिलने से पहले प्राप्त चिकित्सा शिक्षक का अनुभव/ऑनरेरी/विदेशी संस्थानों/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के पद पर प्राप्त अनुभव भारत के चिकित्सा महाविद्यालयों में पूर्णकालिक चिकित्सा शिक्षक के उच्च पद पर पदोन्नति/नियुक्ति के लिए मान्य/स्वीकार्य नहीं है।

9. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

10. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथिः**–आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांकः /08/2024 सायं 05.30 बजे तक नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आवक–जावक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्केन कराकर महाविद्यालय, की स्थापना प्र.द्वि. शाखा की ई–मेल आई. डी. **estt1st2ndclass@gmail.com** पर भी भेजा जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **स्वशासी "चिकित्सा महाविद्यालय,खण्डवा में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन"** एवं **विषय** तथा **आवेदित पद का नाम** और **आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी** का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की संभावित दिनांक एवं इस सम्बन्ध में आगे की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी साथ ही एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें अलग–2 आवेदन करना होगा।

11. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त मूल दस्तावेजों एवं एक सेट छायाप्रति स्व–प्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से लावें।

12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश स्वतः लागू होगें।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जाँच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

01/08/24

(डॉ. संजय कुमार दादु)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.सिं.चौ.शा.चि.म. खण्डवा

(5)

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

आवेदन पत्र प्रारूप (अंतिम तिथि–07/08/2024)

नवीनतम स्वप्रमाणित

पद.................................विषय.................................श्रेणीः–(UR/OBC/ST/SC/EWS)

(जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है)

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का नाम ....
2. पुरूष/महिला...
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित)..
4. वर्तमान पद एवं कार्यस्थल/संस्थान...
5. वर्तमान संस्थान जहां कार्यरत है प्रायवेट है या शासकीय है...........................
6. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)..

   ....

   शहर का नाम.............................. फोन नं..

   मोबाइल नं................................ईमेलआईडी...
7. स्थाई पता...

   ....

   शहर का नाम.............................. फोन नं..

   मोबाइल नं...
8. आधार कार्ड नम्बर (हो तो) ....
9. जन्मतिथि (**हाईस्कूल अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें**)...........................
10. दिनांक **01/01/2024** को आवेदक की आयु ....दिन .... माह ....वर्ष
11. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित
12. विवाह का दिनांक– ....
13. विवाह के समय आपकी उम्र........ वर्ष......... माह.........दिन........,

    विवाह के समय पति/पत्नि की उम्र........ वर्ष......... माह.........दिन........,
14. आपके बच्चों की संख्या..
15. यदि बच्चों की संख्या 03 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक.................
16. वर्ग–:अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विकलांग .... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

नोटः– मध्यप्रदेश राज्य के मुल निवासी न होने की स्थिती में वर्ग अनारक्षित लिखे।

17. मेडिकल काउन्सिल / डेन्टल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

अ. एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.——

ब. एमडी / एमएस / एम.डी.एस.——

स. एमसीएच / डीएम—

नोटः पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

18. शैक्षणिक योग्यताऐं:—विज्ञप्ति में दर्शित अर्हतायें एवं निरर्हतायें के अनुरूप

3. शैक्षणिक योग्यताए :—

परीक्षा का नाम	संस्था / वि.वि.	वर्ष	विषय एवं प्रयास (Attempt) *Mention subject wise attempt	कुल प्राप्तांक / कुल पूर्णांक	कुल प्रतिशत
MBBS/BDS/MSc First Prof.					
MBBS/BDS/MSc Second Prof.					
MBBS/BDS/MSc Final Part I					
MBBS/BDS/MSc Final Part II					
MD/MS/ DNB/MCH/ DM/MDS/PhD					

2. For D.N.B. candidates:-

D.N.B. course duration (in years)	Number of beds in teaching hospital where D.N.B. course was conducted	Eligibility of D.N.B. guide's/supervisor's as PG teacher as per MCI/NMC TEQ	Post D.N.B. S.R. ship/ Research Associate (CISR) in MCI recognized / permitted institution(required for acquiring/ gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ)

3. Details of **"Basic Course in Biomedical Research"** from institution designated by MCI/ NMC:

Institution designated for conducting BCBR by MCI/NMC: Yes/No, Dates & Roll no........., Center name:- ...., conducted by:-	Online Assignment (%)	Proctored Examination (%)	Consolidated Score (%)	Photocopy of its certificates attached : Yes/No

9- Details of **"Basic Course in Medical Education Technology"** from Institutions designated by NMC:

Center Name where course conducted	Center designated by MCI/NMC: Yes/No	Dates of course conducted	Name of Trainer(Coordinator)	Photocopy of its certificates attached : Yes/No

19. शैक्षणिक अनुभव :–विज्ञप्ति में दर्शित अर्हतायें एवं निरर्हतायें के अनुरूप

Post	Name of the Institute with address:	Date of (G.O.I.) L.O.P. issued to the said institute:	Institute Recognized/ Permitted by MCI/NMC	Type of appointment as Permanent Full time / Contractual Full time /Regular Full time / Part time / Honorary / Visiting Faculty	Work experience		Duration (in Years , Month and days)
					From (Date)	To (Date)	
Professor							
Associate Professor							
Assistant Professor							
Post _PG SR / Tutor							

20. रिसर्च पब्लिकेशन :– Details of **Research articles** published:-

No.	Publication Title & Journal name	Type of Article*	Date of Publication	Published during tenure of Professor/ Assoc./Assist. Prof/ PG	Author: 1st/2nd/3rd /Corresponding	Name of Indexing Agency**	ISSN No.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

*** Type of article accepted as per NMC/MCI norms:** 1.Original Research Article/ Papers, 2. Systematic Review, 3. Meta-analysis, 3. Case Series.

विज्ञापित उच्च पद पर आर्हता हेतु एनएमसी के प्रचलित मापदण्डों अनुसार जर्नल इंडेक्स (**Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ)** में प्रकाशित शोधपत्र मान्य किये जायेंगे, किन्तु नवीनतम प्राप्त संलग्न प्रोराटा अनुसार शोधपत्रों के गुणांकन/अंक हेतु केवल Pubmed indexed जर्नल में प्रकाशित शोधपत्र ही मान्य किये जायेंगे।

21. Other Information–

no.	**Achievements**	**Yes/No**	**Mention Details and attach photocopy of its certificates/proof**
1.	Principal Investigator/Co Principal Investigator in Research Project of ICMR/DST/DBT/Any National Research Body , in lieu of Publication/authorship:-		
2.	Organized Conference(National/International) in capacity as Organizing Chairperson / Organizing Secretary / Organizing Joint Secretary:-		
3.	Editor of Journal /Member of Editorial board:-		
4.	Written book/Chapter in book:-		
5.	National Award /State Award for:-		
6.	Fellowship in concerned subject of more than six months:-		
7.	Membership of Scientific Research Society:-		
8.	Good Clinical Practice Workshop:-		

9.	Any Extracurricular Activities:-		

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की संपूर्ण सूची:–**(Whichever applicable)**

1). 1st M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
2).2nd M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
3).3rd M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
4).4th Part I B.D.S. Marksheet
5). 4th Part II B.D.S. Marksheet
6).Internship completion certificate
7).M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Degree Certificate
8).M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Attempt Certificate
9).M.B.B.S./B.D.S. Registration Certificate
10).M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Mark sheet Certificate
11).M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Degree Certificate
12).M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Attempt Certificate
13).M.S./M.D./D.N.B/M.D.S. Registration Certificate
14). Certificate of Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC
15). Certificate of Revised Basic Course in MET &AT-COM from institution designated by MCI/NMC
16).Teaching Experience Certificates of Professor/Associate Professor/Assistant Professor in Medical College
17).Post-PG one year experience certificate of S.R./ Tutor in concerned subject in a MCI/NMC permitted/recognized Medical College.
18).PG Resident Experience Certificate
19).Tenth Mark sheet/Certificate or Birth Certificate
20).Adhar Card
21). PAN Card
22).Copies of Research Publications

स्थान..............................
दिनांक..............................   आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

//घोषणा–पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरूद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नही है, और मेरे विरूद्ध कोई जॉच प्रचलन में नही है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।

स्थान..............................
दिनांक..............................

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल ,दिनांक 24/07/2024

आदेश

क्रमांक 1105 एफ 2–45/2010/1/55: राज्य शासन एतद् द्वारा चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में एकरूपता की दृष्टि से विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.12.2022 एवं 19.05.2023 को अधिक्रमित करते हुये अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश चिकित्सा सेवा राजपत्रित भर्ती नियम 2023 तथा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक संवर्ग हेतु प्रपत्र "अ" "ब" "स" एवं "द" रिक्त पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश/मापदण्ड निम्नानुसार है :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 02 में पदोन्नति/सीधी भर्ती के पद हेतु मूल स्वशासी संस्था के अधीन पदस्थ होकर कार्यरत अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः इन–हाउस विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
   स्वशासी संस्था के संबंधित विभाग में अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर ही ओपन विज्ञप्ति जारी की जायेगी।
2. इन–हाउस अभ्यर्थी के रूप में केवल वही अभ्यर्थी मान्य होगा, जिसके मूल नियोक्ता संस्था द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई हो। भले ही वह अभ्यर्थी वर्तमान अथवा तत्समय किसी अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हो। अर्थात विज्ञप्ति जारी करने वाली संस्था में बतौर इन–हाउस अभ्यर्थी उसी संस्था का मूलतः नियुक्त अभ्यर्थी ही मान्य होगा ।
3. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभ्यर्थी को प्रतिनियुक्ति में नियुक्त संस्था का इन–हाउस अभ्यर्थी मान्य नहीं किया जायेगा। वह अभ्यर्थी अपनी मूल नियोक्ता संस्था में ही इन–हाउस अभ्यर्थी मान्य किया जायेगा। उपरोक्त बिन्दुओं को निम्न उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है:–

उदाहरण अः–

i- चिकित्सा शिक्षक X की नियुक्ति स्वशासी संस्था ABC में मूल रूप से हुई थी।
ii- चिकित्सा शिक्षक X प्रतिनियुक्ति पर किसी अन्य स्वशासी संस्था DEF में पदस्थ होता है। इस प्रकरण में स्वशासी संस्था DEF द्वारा इन–हाउस विज्ञप्ति निकाली जाती है तो चिकित्सा शिक्षक X स्वशासी संस्था DEF द्वारा जारी इन–हाउस विज्ञप्ति में इन–हाउस अभ्यर्थी मान्य नहीं किया जाएगा।

उदाहरण बः–

i- चिकित्सा शिक्षक X की नियुक्ति स्वशासी संस्था ABC में मूल रूप से हुई थी।
ii- चिकित्सा शिक्षक X प्रतिनियुक्ति पर किसी अन्य स्वशासी संस्था DEF में पदस्थ होता है। इस प्रकरण में स्वशासी संस्था ABC द्वारा इन–हाउस विज्ञप्ति निकाली जाती है तो चिकित्सा शिक्षक X स्वशासी संस्था ABC द्वारा जारी इन–हाउस विज्ञप्ति में इन–हाउस अभ्यर्थी मान्य किया जाएगा। एवं इस हेतु चिकित्सा शिक्षक X का प्रतिनियुक्ति संस्था DEF में किये गये शैक्षणिक कार्य का शैक्षणिक अनुभव मान्य किया जाएगा।

उदाहरण सः–

i- चिकित्सा शिक्षक X की नियुक्ति स्वशासी संस्था ABC में मूल रूप से हुई थी, जिसमें उसने वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति की पात्रता हेतु निर्धारित समय अवधि तक कार्य किया।
ii- चिकित्सा शिक्षक X अपनी नौकरी से त्याग–पत्र देकर अन्य स्थान पर सेवायें देने चला गया है।

निरंतर.............2

इस प्रकरण में स्वशासी संस्था ABC द्वारा इन–हाउस विज्ञप्ति निकाली जाती है तो चिकित्सा शिक्षक X स्वशासी संस्था ABC द्वारा जारी इन–हाउस विज्ञप्ति में इन–हाउस अभ्यर्थी मान्य नहीं किया जाएगा।

4. साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञ राज्य शासन के बाहर से मनोनीत होंगें। साक्षात्कार समिति में संबंधित संस्था से कोई विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नहीं होगा।

चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:–

A. अध्यक्ष, संबंधित स्वशासी संस्था।

B. अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय।

C. आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि।

D. राज्य शासन के बाहर से मनोनीत 02 प्राध्यापक स्तर के विषय विशेषज्ञ।

5. उपरोक्त प्रस्तावित नियम, इन्हें जारी किये जाने के दिनांक से ही लागू किये जायेंगे। पूर्व में की गई नियुक्तियों को इन नियमों के अनुसार चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

अतः उक्त अनुसार कार्यवाही किये जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः– परिशिष्ट– "अ" "ब" "स" एवं "द"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मयंक अग्रवाल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक 1106 एफ 2–45/2010/1/55: भोपाल, दिनांक 24/07/2024

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्रीजी,म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,भोपाल।
2. निज सचिव , माननीय राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,भोपाल।
3. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव,म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,भोपाल।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,भोपाल।
5. निज सचिव, सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,भोपाल।
6. आयुक्त ,स्वास्थ्य सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल,म0प्र0
7. आयुक्त,चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल,म0प्र0।
8. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0,भोपाल,म0प्र0।
9. संचालक,चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन,भोपाल,म0प्र0।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर , जबलपुर ,रीवा, सागर , विदिशा, रतलाम, खण्डवा , शहडोल, शिवपुरी , दतिया, छिंदवाडा ।
11. प्राचार्य, स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

24/07/2024

प्रपत्र "ब"

प्राध्यापक पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोरेटा (साक्षात्कार के माध्यम से)

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 15 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल अंक 05	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. (MBBS/BDS) उत्तीर्ण होने पर 15 अंक। 2. किसी भी विषय में अतिरिक्त attempt होने पर प्रत्येक अतिरिक्त attempt के 02 अंक कम किये जायेंगे) अधिकतम– 15 अंक	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे अधिकतम– 20 अंक	शोध अनुभव – PubMED Indexed Journal में प्रकाशित शोध पत्र (प्रत्येक शोध पत्र के लिए 02 अंक) अधिकतम– 10 अंक	शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव (सह प्राध्यापक/प्राध्यापक) के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे अधिकतम– 20 अंक	शोध पत्र प्रस्तुतीकरण– राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण पर 02 अंक एवं प्रत्येक केस रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण हेतु 01 अंक एवं शोध पत्र प्रस्तुतीकरण पर प्राप्त पुरस्कार हेतु 04 अंक। अधिकतम–10 अंक	मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में की गई नियमित शासकीय सेवा हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा हेतु 01 अंक। अधिकतम–05 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम–20 अंक	(..../100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

नोट–

1. उक्त प्रोरेटा अर्हता का मापदण्ड नहीं है। अर्हताओं हेतु एन.एम.सी द्वारा प्रचलित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अर्हताओं की गणना किये जाने में एन.एम.सी के नियमानुसार शोधपत्र मान्य किये जाऐंगे। उपरोक्त तालिका में शोध पत्र की गणना संबंधी दिशा निर्देश केवल आंतरिक प्रोरेटा के गणना हेतु है।

(मयंक अग्रवाल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रपत्र "स"

सह प्राध्यापक पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोरेटा (साक्षात्कार के माध्यम से)

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 15 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल अंक 05	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (..../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 3. एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. (MBBS/BDS) उत्तीर्ण होने पर 15 अंक। 4. किसी भी विषय में अतिरिक्त attempt होने पर प्रत्येक अतिरिक्त attempt के 02 अंक कम किये जायेंगे) अधिकतम– 15 अंक	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे अधिकतम– 20 अंक	शोध अनुभव – PubMED Indexed Journal में प्रकाशित शोध पत्र (प्रत्येक शोध पत्र के लिए 02 अंक) अधिकतम– 10 अंक	शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव (सहायक प्राध्यापक / सह प्राध्यापक) के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे अधिकतम– 20 अंक	शोध पत्र प्रस्तुतीकरण– राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण पर 02 अंक एवं प्रत्येक केस रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण हेतु 01 अंक एवं शोध पत्र प्रस्तुतीकरण पर प्राप्त पुरस्कार हेतु 04 अंक। अधिकतम–10 अंक	मध्यप्रदेश के शासकीय / स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में की गई नियमित शासकीय सेवा हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा हेतु 01 अंक। अधिकतम–05 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम–20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8		9

नोटः–

1. उक्त प्रोरेटा अर्हता का मापदण्ड नहीं है। अर्हताओं हेतु एन.एम.सी द्वारा प्रचलित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अर्हताओं की गणना किये जाने में एन.एम.सी के नियमानुसार शोधपत्र मान्य किये जाऐंगे। उपरोक्त तालिका में शोध पत्र की गणना संबंधी दिशा निर्देश केवल आंतरिक प्रोरेटा के गणना हेतु है।

(मयंक अग्रवाल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग